—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 24/2023

उनवान

1. चन्द्र सिंह पुत्र अज्जा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम चाट सरदारपुरा, नसीराबाद
—— अपीलांट :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायम राजगढ., नसीराबाद
2. महेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह जाति रावत निवासी ग्राम लच्छीपुरा, तहसील अजमेर।
3. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बडौदा, शाखा राजगढ, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— रेस्पोडेन्टस :— 1 से 4 व 10 अनुपस्थित, 9 जरियें राज. पैराकार
5 से 8 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत राजगढ द्वारा पारति आदेश दिनांक 24.12.13 नामान्तकरण संख्या 124 के द्वारा पंचायत द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्व अपील बाबत।

—: आदेश :— दिनांक :— 21.4.25

अधिवक्ता अपीलान्टस ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाट सरदारपुरा के हाल खसरा नम्बर 140 रकबा 0.31 बाबत अपीलोट द्वारा हाजा न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 78/2010 प्रस्तुत किया जो दिनांक 11.12.2012 को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। दिनांक 18.03.2015 को अंतिम डिक्री पारित की गयी इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा भूमि का निर्णय डिक्री दिनांक 11.12.2012 के बाद वादी की भूमि को अपने पक्ष में आक्षेपित नामान्तकरण संख्या 124 दिनांक 24.12.13 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलीभगत कर कराया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण विधि के प्रावधानों के विपरित जा कर स्वीकृत किया है। अतः उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर अपीलांट के नाम नामान्तकरण के आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का रहन नामानतकरण भी निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 3 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट व राज. पैरोकार के तर्को पर मन किया गया। आराजी मुतनाजा हाल रिकार्ड में अपीलांट व रस्पोडेन्टस संख्या 2 व गोपी पुत्र बिरधा के नाम दर्ज है। अपीलांट ने पूर्व में हाजा न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 78/2010 वास्ते विभाजन चन्द्र सिंह बनाम गोपी वगै. पेश किया। उक्त वाद मय अन्य

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आराजी के साथ खसरा नम्बर 140 रकबा 0.31 बाबत भी था। उक्त प्रकरण में दिनांक 11.12.12 को प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाजन प्रस्ताव अनुसार खसरा नम्बर 140 रकबा 0.31 का खातेदार वादी को घोषित किया गया। अंतिम डिक्री पारित होने से पूर्व ही खसरा नम्बर 140 रकबा 0.31 गोकल वुत्र बरदा के स्थान पर जरियें विक्रय नामान्तकरण संख्या 124 दिनांक 24.12.13 से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम कर दिया गया। उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम होने व बैंक के नाम रहन दर्ज होने के कारण हाजा न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री की पालना अपीलांट के पक्ष में नही की गयी। नामान्तकरण संख्या 124 तस्दीक करते समय अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया साथ ही न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की अनदेखी कर उक्त नामान्तकरण दर्ज/तस्दीक किया गया। अपीलांट द्वारा जो तथ्य अपनी अपील में उठाये गये है उनके अनुसार अपीलांट के कथन न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद के विरूद्व कोई चाराजोही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा नही की गयी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील का खण्डन भी पेश नही किया है। अपीलांट को आराजी मुतनाजा का स्वामित्व अधिकार जरियें राजस्व वाद प्राप्त हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर विधिक त्रुटि की है।

उक्तानुसार ग्राम पंचायत राजगढ द्वारा नामान्तकरण संख्या 124 में दिनांक 24.12.13 को पारित आदेश विधिसम्मत/न्यायसंगत आदेश नही है। उक्त नामान्तकरण में विधिक तथा तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर है, जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित होने से हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से एतद् द्वारा **"स्वीकार"** की जाती है। ग्राम चाट सरदारपुरा का नामान्तकरण संख्या 124 दिनांक 24.12.13 में ग्राम पंचायत राजगढ द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है। उक्त नामान्तकरण तहसीलदार नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि ग्राम चाट सरदारपुरा के हाल खसरा नम्बर 140 रकबा 0.31 में अपीलांट व रेस्पोडेन्टस को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये नामान्तकरण की कार्यवाही नवीन सिरे से की जावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:51 IST
Reason: SelfAttested